लिए हाल ही में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर हैं तथा सरकार ने सही संस्थाओं का चयन करने तथा उनके द्वारा किए गए काम का समुचित और सही मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) वर्ष 1988–89 से 1990–91 की अवधि के दौरान 61 स्वयंसेवी एजेंसियों के विरुद्ध सहायता अनुदान के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1987–88 से आज तक 646 स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए जारी किए गए अनुदान को अनुमोदित कर दिया है । उपरोक्त (क) में उल्लिखित एजेंसियों के सिवाय किसी और एजेंसी के विरुद्ध निधियों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) और (घ) उन स्वयंसेवी एजेंसियों, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, के नाम पते व की गयी कार्रवाई के ब्यौरों से संबंधित विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 156, अनुपत्र सं. 32]

स्वयंसेवी एजेंसियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से संबंधित योजना में सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता के मानदण्डों को विस्तार में निर्धारित किया गया है । योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार पात्र स्वयंसेवी एजेंसियों के आवेदनों की विचारार्थ, सिफारिश का सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सीधे मदद प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों का भी पता लगा सकती है ।

हमने सभी राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों से, स्वयंसेवी एजेंसियों की परियोजनाओं की देखरेख करने अथवा जहां कहीं आवश्यक हो, वहां कार्यान्वयन से संबंधित रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया है । जब कभी मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तब भारत सरकार संयुक्त मूल्यांकन दलों का गठन कर देती है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों के एक–एक प्रतिनिधि व एक बाहरी विशेषज्ञ शामिल होते हैं । इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है ।

जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, वैसे ही राज्य सरकार के माध्यम से या संयुक्त मूल्यांकन दल का गठन करके शिकायतें की तत्काल जांच-पड़ताल शुरू कर दी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर, आगे की आवश्यकता कार्रवाई शुरू की जाती है ।

Improvement in the conditions of Mental Hospital Sahadara

1295. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether any representation was given to him by the Staff Union of Mental Hospital, Shahdara, Delhi when we visited the hospital on 20th December, 1990;

(b) if so, what are the main points contained therein; and

(c) what steps have been taken tc meet their demands and to provide better facilities to the patients?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (PROF SHAKEELUR REHMAN!: (a) to (c) The mater Is being looked into in consultation with the Delhi Administration.